

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 23/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतगत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) म उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) म उल्लेखित नोटिसों के संबंध म उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) म उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग व कर्तव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) म उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप म काय करने के लिए नियुक्त करते ह

तालिका

क्र.	वि. वि.	ख. वि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै सनत प्रिंटस, प्लॉट सं. 312, ईपीआईपी, एचएसआईडीसी, कुंडलौ, सोनीपत, हरियाणा और 4 अन्य.	फ़ा सं DRI/DZU/ 23/Enq-13/2016 दिनांक 16.04.2018 (SCN No. 77/2018).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (नियात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-IV), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, नई दिल्ली.
2.	श्री निसहोथ शाह, प्रोपराइटर, मै पूजा एंटरप्राइजेस,	फ़ा सं DRI/AZU/ CI/Enq-03(Int-16/ 2018)/ 2019	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III),

	ओल्ड जे टाइप शेड, J-14, गुजरात थेमीस के निकट, जीआईडीसी वापी, वलसाड, गुजरात-396191.	दिनांक 08.05.2019.	रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, मुंबई.	जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
3.	मै ओमरोन ऑटोमेशन प्रा लिं, 6 तल, B-ब्लॉक, सेवा टावर, प्लॉट सं. 19, सेक्टर-18, उद्योग विहार, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा-122008	फ़ा सं DRI/MZU/F/ Int-50/2018 दिनांक 22.02.2019 (Investigation Report on account of waiver for issuance of SCN accepted by the Pr. ADG, DRI- MZU).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एयरपोट, एयर इंडिया एसएटीएस, देवनहल्लो, बगलुरु. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो-व्हाइटफोल्ड, बगलुरु. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिर्लाप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) म वर्णित समान न्यार्यानिणयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निणयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) म वर्णित न्यार्यानिणयन प्राधिकारों।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निणयनन अधिकारों का नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारों को भेज दे